

# भारतीय रेल

## सार्वजनिक अधिसूचना

प्रोफार्मा 10-1

रेलवे लाइनों और परिसरों के सभी उपभोक्ताओं को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि रेलवे के निम्नलिखित खण्ड पर 25,000 वोल्ट, 50 हर्ट्ज एसी शिरोपरि कर्षण तारों को खण्ड के सामने विनिर्दिष्ट तारीख को या बाद ऊर्जित किया जाएगा। उस तारीख पर और उस तारीख से शिरोपरि कर्षण लाइन को सब समय विद्युन्मय माना जाएगा और कोई अनाधिकृत व्यक्ति उस शिरोपरि लाइन की सामीप्यता में दाखिल होने या काम करने नहीं जाएगा।

सेक्शन	टीकेएम (दिनांक)
उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के Rosa-Sitapur city दोहरीकरण खंड का 25KV सिंगल फेज एसी बारतारा से DN मेन लाइन लोकेशन 7/12 (Ch: 7/271.50) से लोकेशन 11/14 (Ch: 11/263.00) तक बारतारा यार्ड सहित और UP मेन लाइन उनचौलिया लोकेशन 11/13 (Ch: 11/263.00) से लोकेशन 24/32 (Ch: 24/687.00) सहित UCH यार्ड, JBG यार्ड, संबंधित टर्न आउट, एक्स-ओवरों और एटी के साथ, मौजूदा लाइनों में संशोधन और मौजूदा SSP/UCH का फीडर लाइनों के साथ उन्नयन।	17.273 (22.01.2021)

सं. 17-Elect/C/TRD/MB/115 दिनांक: 20.01.2021

प्रोफार्मा 10-2

## भारतीय रेल

### एसी 25 केवी कर्षण का परिचय

### “सड़क उपयोगकर्ताओं को चेतावनी”

जनता की जानकारी के लिए यह सूचित किया जाता है कि 25KV AC इलेक्ट्रिक ट्रेक्शन ओवर शुरू करने के संबंध में “उत्तर रेलवे मुरादाबाद मंडल के Rosa-Sitapur city दोहरीकरण खंड का 25KV सिंगल फेज एसी बारतारा से DN मेन लाइन लोकेशन 7/12 (Ch: 7/271.50) से लोकेशन 11/14 (Ch: 11/263.00) तक बारतारा यार्ड सहित और UP मेन लाइन उनचौलिया लोकेशन 11/13 (Ch: 11/263.00) से लोकेशन 24/32 (Ch: 24/687.00) सहित UCH यार्ड, JBG यार्ड, संबंधित टर्न आउट, एक्स-ओवरों और एटी के साथ, मौजूदा लाइनों में संशोधन और मौजूदा SSP/UCH का फीडर लाइनों के साथ उन्नयन” हाइट गेज सभी लेवल क्रॉसिंग पर लगाये हैं, जो सड़क की ऊँचाई से 4.78 मीटर की अधिकतम ऊँचाई पर स्पष्ट ऊँचाई के साथ है, अत्यधिक ऊँचाई के भार को संपर्क में आने या लाइव ट्रेक्शन वायर से खतरनाक निकटता को रोकने के उद्देश्य से। सार्वजनिक रूप से वाहनों को लोड करने के उद्देश्य के लिए ऊपर निर्दिष्ट ऊँचाई का निरीक्षण करने के लिए सूचित किया गया है और यह देखने के लिए कि सड़क वाहनों में किए गए भार किसी भी परिस्थिति में ऊँचाई गेज का उल्लंघन नहीं करते हैं।

अत्याधिक ऊँचाई के भार के खतरे इस प्रकार हैं:-

- ऊँचाई गेज के लिए खतरा और परिणामस्वरूप सड़क के साथ-साथ रेलवे लाइन में बाधा।
- सामग्री या उपकरण या वाहन के लिए खतरा।
- सुचालक के साथ संपर्क या खतरनाक निकटता के कारण आग का खतरा और जीवन का जोखिम।

उप-मुख्य विद्युत अभियन्ता/निर्माण,

उ.रे., मुरादाबाद

160/2021

ग्राहकों की सेवा में मुस्कान के साथ